भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2793

उत्तर देने की तारीख : 17.12.2025

जियो पारसी योजना

2793. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पारसी समुदाय की वर्तमान जनसंख्या प्रवृत्ति क्या है और क्या जियो पारसी योजना के संबंध में हाल ही में कोई जनसांख्यिकीय मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने जियो पारसी योजना के आरंभ के बाद से इसका कोई मूल्यांकन या प्रभाव अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो जनसंख्या में गिरावट को रोकने अथवा स्थिर करने में इसकी प्रभावशीलता के संबंध में प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) चिकित्सा सहायता घटक के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित आय सीमा सहित योजना के प्रमुख घटकों और पात्रता मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत पांच वर्षों के दौरान जियो पारसी योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या सहित वित्तीय और भौतिक उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और कुल कितना व्यय हुआ; और

(च) क्या सरकार का जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों को देखते हुए इस योजना का विस्तार अथवा संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (च) जनगणना आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत एक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय पारसी (जोरोस्ट्रियन) की आबादी 1941 में 1,14,000 से घटकर 2011 में 57,264 रह गई है। जनसंख्या में गिरावट को रोकने और इस प्रवृत्ति को उलटने के लिए, भारत सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से 2013-14 में जियो पारसी योजना शुरू की थी। इस योजना के तीन घटक हैं:

i) चिकित्सा सहायता - बांझपन, गर्भावस्था की जटिलताओं और नवजात जटिलताओं के इलाज के लिए पारसी दंपत्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना; यह 30 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले पारसी दंपत्तियों के लिए उपलब्ध है।

ii) समुदाय का स्वास्थ्य - बच्चों और परिवार के आश्रित बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल के लिए पारसी दंपत्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना; यह 15 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले पारसी दंपत्तियों के लिए उपलब्ध है।

iii) पक्ष-समर्थन - योजना के तहत उपलब्ध लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

योजना के तहत लाभार्थियों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और अन्य सत्यापन के पश्चात प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से सहायता जारी की जा रही है।

पिछले 5 वर्षों (अर्थात 2020-21 से 2024-25) के दौरान, 17.64 करोड़ रुपये व्यय किए गए और इस योजना के तहत 232 बच्चों का जन्म हुआ।

2025 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) द्वारा योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। आईआईपीएस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, यह योजना अपनी इच्छित आबादी तक पहुंचने में काफी हद तक सफल रही है और पारसी आबादी बढ़ाने में योजना की उपयोगिता के संबंध में उत्तरदाताओं के बीच लगभग सार्वभौमिक स्वीकृति थी।

इस योजना को अगले वित्त आयोग चक्र के दौरान जारी रखने पर विचार किया जा रहा है।

*****